

5 April (The hindu)

NO Surprises

(रेपो रेट)

संदर्भ-

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट को 0.25 से घटाकर 6 फीसदी कर दिया गया।
- रेपो रेट वह दर जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे वाणिज्यिक बैंकों को धन उपलब्ध कराती है।
- रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और इसलिए बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम कर्ज के तौर पर दी जा सके।
- रेपो दर में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, तथा बैंक द्वारा कर्ज देने के लिए जो ब्याज दर तय की जाती है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है।

अप्रैल 2019 की मौद्रिक समीक्षा की मुख्य बातें-

- अल्पावधि ब्याज दर (रेपो दर) 0.25 प्रतिशत घटाकर छह प्रतिशत की गई, यह रेपो दर में लगातार दूसरी बार की गई कटौती है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति पर रुख तटस्थ बनाये रखा।
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिये जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 7.4 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत किया। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के लिये खुदरा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान घटाकर 2.4 प्रतिशत।
- मौद्रिक नीति समिति ने माना कि उत्पादन नकारात्मक बना हुआ है और घरेलू अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती बनी हुई है। निजी निवेश को बढ़ावा देकर घरेलू आर्थिक वृद्धि को मजबूती दिए जाने की जरूरत है।
- अगली मौद्रिक नीति की घोषणा छह जून को होगी।
- भविष्य में वैकल्पिक कृषि समर्थन योजनाओं, कुछ राज्य सरकारों द्वारा की गई कृषि ऋण माफी से और फसलों के लिए ऊँचा न्यूनतम समर्थन मूल्य और कम प्रत्यक्ष कर की प्राप्ति से सकल राजकोषीय घाटे पर दबाव बढ़ सकता है।
- मुद्रास्फीति अनुमान- फरवरी 2019 में मुद्रास्फीति 2.6 फीसदी नियंत्रण में हैं। 2019-20 की पहली छमाही में औसत मुद्रास्फीति 3.2% से बढ़कर 3.4% होने का अनुमान है, लेकिन यह निर्धारित 4% मुद्रास्फीति से कम है।
- मुद्रास्फीति के कारण - मानसून का व्यवहार में परिवर्तन, वैश्विक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2018-19 के लिए सकल उत्पाद की वृद्धि को 7% अनुमानित किया था जब केंद्रीय बैंक (RBI) ने 2019-20 में 7.4% की तुलना में 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया।

मौद्रिक नीति

- जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति (Monetary Policy) कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। इसके द्वारा मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है।
- **मौद्रिक नीति समिति** - भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये जून, 2016 को किया गया। **मौद्रिक नीति** निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में चार बार बैठक करेगी।

मौद्रिक नीति प्रक्रिया

- केंद्र सरकार द्वारा धारा 45ZB के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक नीति ब्याज दर निर्धारित करता है।
- रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) मौद्रिक नीति निर्माण में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सहायता करता है।
- वित्तीय बाजार समिति (एफएमसी) चलनिधि की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर बैठक करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौद्रिक नीति (भारित औसत ऋण दर) का परिचालन लक्ष्य नीति रेपो दर को करीब रखा जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।

मौद्रिक नीति के लक्ष्य

- मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मूल्य स्थिरता संधारणीय वृद्धि की आवश्यक शर्त है।
- मई 2016 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 को संशोधित किया गया जिससे कि लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए सांविधिक आधार प्रदान किया जा सके।
- संशोधित आरबीआई अधिनियम में रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान भी किया है।
- तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने अगस्त 2016 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य के रूप में 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अधिसूचित किया है। जिसमें ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत और नीचली सीमा 2 प्रतिशत होगी।

मौद्रिक नीति प्रक्रिया

- संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB में अधिकार प्राप्त छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का प्रावधान भी किया गया है जिसका गठन केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा।
- इसमें अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होंगे जिसमें 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनित किये जायेंगे।
- समिति का पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होगा। इसके अलावा दो सदस्य जिसमें मौद्रिक नीति का प्रभारी (उप गवर्नर) तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक का एक अधिकारी होगा।
- सरकार द्वारा नामित सदस्य चार वर्ष की अवधि तक पद पर रहेंगे।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

1. मौद्रिक नीति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें?
- (a) मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।
 - (b) वित्तीय बाजार समिति व मौद्रिक नीति विभाग द्वारा मौद्रिक नीति निर्माण में सहायता की जाती है।
 - (c) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक की होती है।
 - (d) मौद्रिक नीति समिति का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है।

उत्तर (d)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- 'भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति एक उद्दीपक और अवरोधक की तरह कार्य करती है।' इस कथन का विश्लेषण कीजिए।



